भारत से पाकिस्तान तक बलात्कारियों पर रहम

डॉ. ब्रह्मदीप अलूने
(अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार)

नैतिक शुद्धता पर आधारित न्याय व्यवस्था जब बलात्कार से पीड़ित, सहमी और अंदर से टूटी हुई आत्मा की आवाज को सुनने से इंकार कर दे, तब महिलाओं को कहां जाना चाहिए. यह प्रश्न भारत और पाकिस्तान की करोड़ों महिलाओं को परेशान कर रहा है. दरअसल भारत और पाकिस्तान की अदालतों के हाल के समय में कुछ निर्णय हैरान करने वाले है और इससे महिला अस्मिता के लिए नई चुनौतियां सामने आ खड़ी हुई है.

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के रेप के एक केस में दिए गए फ़ैसले में जोर जबरदस्ती के बाद भी पूर्ण यौन सम्बन्ध स्थापित न होने की दशा में इसे बलात्कार नहीं बल्कि बलात्कार की कोशिश का अपराध कहा है. फ़ैसले में दर्ज़ घटना के विवरण के अनुसार अभियुक्त ने लड़की की इच्छा के विरुद्ध यौन संबंध बनाएं, इसके बाद उसे कमरे में बंद कर दिया, हाथ पैर बांध दिए और मुंह में कपड़ा ठूंस दिया. कोर्ट ने इस पर कहा की यह साक्ष्य बलात्कार के अपराध को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं है, बल्कि इससे बलात्कार के प्रयास का अपराध बनता है. इस आधार पर कथित अपराधी की सजा को कम कर दिया गया. यह घटना 2004 की है. अर्थात् पीड़िता ने लंबे समय तक न्याय की आस में लड़ाई का साहस दिखाया. दो दशक से ज्यादा समय तक निचली अदालतों से होकर हाईकोर्ट तक पहुंची और जब फैसला आया तो अपमान और दर्द साथ लेकर आया. इस दौरान पीड़िता ने सामाजिक, आर्थिक और वैधानिक स्तर पर लाभ हानि की परवाह किए बिना खुद को सामने रखा, यह जज्बा भारत जैसे देश में अकल्पनीय माना जाता है. इसे निष्क्रिय समर्पण का मामला बताया. न्यायालय ने कहा कि लड़की ने अधिकारियों की उपस्थिति में असहाय महसूस किया और यह निष्कर्ष निकाला कि उसका समर्पण भय का परिणाम था और इसलिए कानून की दृष्टि में कोई सहमति नहीं थी. यह अंतिम निर्णय नहीं था, सर्वोच्च न्यायालय ने अपने अंतिम फैसले में इस फैसले को पलट दिया और पुलिसकर्मियो ं को इस आधार पर बरी कर दिया कि लड़की के शरीर पर चोट के कोई निशान नहीं थे और लड़की ने कोई शोर नहीं मचाया, जिससे यह संकेत मिलता है कि कथित यौन संबंध एक शांतिपूर्ण मामला था.

अदालतों में बलात्कार को लेकर सामने आने वाले कुछेक मामलों के बीच इस सच्चाई से इंकार नहीं किया जा सकता है कि उच्च मापदन्डों पर आधारित हमारे समाज में मूल्यों और आदर्शों की मिसालें तो दी जाती है, लेकिन महिलाओं से व्यवहार और आचरण में यह सिद्धांत अक्सर धराशायी हो जाते है. ऐसे में उम्मीदें अदालतों पर टिक जाती है और वहां से यह अपेक्षा की जाती है, वह समावेशी समाज की स्थापना के लिए बलात्कार जैसे घृणित मामलों के लेकर ज्यादा संवेदनशील हो. पर क़ानूनी प्रक्रियाओं की जटिलताओं के बीच महिला अस्मिता तार तार होने का अंदेशा भी बना रहता है और यह स्थिति करोड़ों महिलाओं के आत्मविश्वास और सम्मान के लिए चुनौतियां बढ़ा देती है. भारत जैसे उदार लोकतंत्र और पारदर्शी न्याय व्यवस्था में न्यायालयों के कई निर्णयों पर व्यापक बहस के बीच पाकिस्तान जैसे अस्थिर और सामंतवाद जैसे प्रभावित देश में महिलाओं की स्थिति और ज्यादा भयावह है. पिछले साल दिसम्बर

में पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय ने बलात्कार के मामले में पाकिस्तान दंड संहिता की धारा 376 (बलात्कार) के तहत दी गई बीस वर्षीय कठोर कारावास की सजा को धारा 496-बी (सहमति से व्यभिचार या ज़िना) के तहत पांच वर्षीय कठोर कारावास में परिवर्तित कर दिया गया था. न्यायालय ने एफआईआर दर्ज करने में देरी और पीड़िता के शरीर पर हिंसा के निशान न होने का हवाला दिया. यह मामला अक्टूबर 2015 में दर्ज किया गया था, जब बलात्कार पीड़िता ने आरोप लगाया था कि आरोपी हसन खान ने सात महीने पहले उसके साथ बलात्कार किया था, जब वह अपने घर से बाहर पास के जंगल में गई थी. इस हमले के परिणामस्वरूप पीड़िता गर्भवती हो गई और बाद में उसने एक बच्चे को जन्म दिया. डीएनए परीक्षण से पुष्टि हुई कि आरोपी ही बच्चे का जैविक पिता था.

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति मलिक शहजाद अहमद द्वारा लिखित फैसले में शिकायत दर्ज करने में देरी का हवाला देते हुए कहा गया है कि यह घटना जबरन बलात्कार का मामला नहीं थी. अदालत ने इस तथ्य को आधार बनाया था की इस घटना के बाद कथित पीड़िता अपने घर लौट आई, जहां उसका भाई और परिवार के अन्य सदस्य रहते थे, लेकिन वह लगभग सात महीने तक चुप रही. सात महीने तक शिकायतकर्ता की चुप्पी उसके आचरण के विरुद्ध बहुत कुछ कहती है, इसलिए सात महीने की देरी से शिकायतकर्ता द्वारा बताई गई जबरन बलात्कार की कहानी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं किया जा सकता, ऐसा बाकायदा आदेश में कहा गया. चिकित्सा अधिकारी ने कथित पीड़िता के पूरे शरीर पर हिंसा के किसी भी ठीक हुए निशान को नोट नहीं किया. यहां तक कि कथित पीड़िता के कपड़े भी पुलिस या निचली अदालत के समक्ष यह साबित करने के लिए पेश नहीं किए गए कि घटना के समय वे फटे हुए थे. इससे पता चलता है कि कथित पीड़िता ने कोई प्रतिरोध नहीं किया, ऐसा फैसले में कहा गया.यहां पीड़िता की स्थिति और उसके हौंसलें किसी भी समाज के लिए मिसाल से कम नहीं, लेकिन न्याय व्यवस्था ने उसे नजरअंदाज कर दिया. पीड़िता कम उम्रकी थी और उसके माता-पिता का देहांत हो चुका था. इन परेशानियों से जूझते हुए उसका पालन पोषण बड़े भाई ने किया है और वह अपने गरीब भाई के साथ ही एक टूटे फूटे घर में रहती थी. भाई दिहाड़ी मजदूर था और उसने घर में टॉयलेट नहीं थी, यह स्थिति भारत के सामाजिक परिवेश और सामाजिक न्याय की स्थिति से अलग नहीं है. अपराधियों ने पीड़िता के भाई को धमकाया, जिसके सबूत भी अदालत के सामने पेश किये गए. सामन्ती और प्रभाव रखने वाले अपराधियों के सामने डटी हुई पीड़िता के साहस और न्याय के लिए लड़ाई तथा एक गरीब भाई के हौंसले तब पस्त हो गए जब अदालत ने पीड़िता के शरीर पर चोट के निशान न होने का लाभ आरोपी पक्ष को दे दिया.

भारत और पाकिस्तान में लैंगिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के सरकारी दावों के उलट इन देशों की जमीनी हकीकत बेहद भयावह है. बलात्कार के दंश भोगने वाली पीडिताओं और करोड़ों महिलाओं को अदालती निर्णय और न्यायाधीशों के बयान और ज्यादा परेशान कर देते है. भारत के 45 वें मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा ने अप्रैल 2019 में, बेंगलुरु में एक सम्मेलन के दौरान, वैवाहिक बलात्कार को अपराध की श्रेणी में लाने का विरोध करते हुए यह विचार व्यक्त किया था कि ऐसा करने से भारतीय पारिवारिक ढांचे को नुकसान होगा. उन्होंने अपने इस विचार को इस प्रकार स्पष्ट करते हुए कहा था की मेरी निजी राय में, वैवाहिक बलात्कार को भारत में अपराध नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि इससे परिवारों में पूर्ण अराजकता फैल जाएगी.

> भारत में बलात्कार को भारतीय दंड संहिता की धारा-375 के तहत किसी महिला के साथ उसकी सहमति के बिना जानबूझकर, गैरकानूनी यौन संबंध के रूप में परिभाषित किया गया है. यौन उत्पीड़न, यौन सम्बन्धों से कहीं ज्यादा दर्द, अवसाद और अपमान देकर जाता है और पीड़िता और उसके परिवार के लिए यह स्थिति घुट-घुट कर मरने जैसे होती है. अफ़सोस न तो भारत और न ही पाकिस्तान में बलात्कार की स्थिति की संवेदनशीलता को समझा जा रहा है और अदालतें भी महिला गरिमा से जुड़े सवालों पर विराम देने में नाकामयाब हो रही है.

पर्यावरण

पर्यावरण की सुरक्षा हमारी सामूहिक जिम्मेदारी

वर्तमान समय में पर्यावरण की सुरक्षा सम्पूर्ण विश्व के लिए एक गंभीर चुनौती बन चुकी है. यह कार्य किसी एक संस्था, देश या विशेष समूह की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि पृथ्वी पर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है. जिस प्रकार हर प्राणी शुद्ध वायु में सांस लेना चाहता है, उसी प्रकार पर्यावरण की रक्षा करना भी हम सबका दायित्व है. यदि हम अपनी दैनिक दिनचर्या में कुछ अच्छी आदतों को शामिल कर लें, तो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं. जैसे हम अपने शरीर को स्वच्छ रखते हैं, वैसे ही हमें अपने घर, आसपास के क्षेत्र, शहर और देश के पर्यावरण को स्वच्छ एवं सुरक्षित रखना चाहिए. इसके लिए पेड़-पौधों की रक्षा करना और नए पौधे लगाना अत्यंत आवश्यक है. लगाए गए पौधों की समय-समय पर देखभाल भी करनी चाहिए. घर के आंगन में बगीचा लगाना, गमलों में पौधे उगाना तथा औषधीय और फलदार वृक्षों का रोपण करना पर्यावरण को समृद्ध बनाता है. इससे न केवल मनुष्य को शुद्ध फल और औषधियां मिलती हैं, बल्कि पक्षियों और अन्य जीवों को भी भोजन एवं आश्रय प्राप्त होता है.

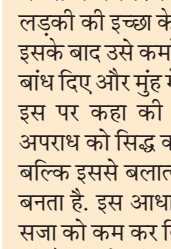

चन्द्रकांति आर्य
(लेखिका समसामयिक विषयों पर लिखती हैं)

पर्यावरण प्रदूषण के चिंताजनक आँकड़े

आज विश्वभर में प्रदूषण के कारण गंभीर संकट उत्पन्न हो चुका है.विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, हर वर्ष लगभग 70 लाख लोगों की मृत्यु वायु प्रदूषण के कारण होती है. वहीं संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार, विश्व में हर साल लगभग 1 करोड़ हेक्टेयर वन क्षेत्र नष्ट हो रहा है. भारत में कई बड़े शहरों का वायु गुणवत्ता सूचकांक सर्दियों में 300 से 500 तक पहुंच जाता है, जो अत्यंत खतरनाक श्रेणी में आता है. विश्वभर में प्रतिवर्ष लगभग 80 लाख टन प्लास्टिक कचरा समुद्र में पहुंचता है, जिससे समुद्री जीवों का जीवन खतरे में पड़ जाता है. वैज्ञानिकों के अनुसार, यदि वर्तमान दर से पेड़ों की कटाई जारी रही तो आने वाले दशकों में जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणाम और अधिक गंभीर होंगे. यह आंकड़े स्पष्ट करते हैं कि यदि समय रहते इस दिशा में ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो स्थिति और भी भयावह हो सकती है.

कचरा प्रबंधन और पुन : उपयोग

घरों से निकलने वाला कचरा पर्यावरण प्रदूषण का एक बड़ा कारण है. भारत में प्रतिदिन लगभग 1.5 लाख टन ठोस कचरा उत्पन्न होता है, जिसमें से बड़ी मात्रा का उचित निस्तारण नहीं हो पाता. प्लास्टिक कचरे का बड़ा भाग पुनर्चक्रित नहीं हो पाता और वह नदियों व समुद्रों में पहुंच जाता है. पर्यावरण संरक्षण में कचरा प्रबंधन की महत्वपूर्ण भूमिका है. प्लास्टिक और कागज को पुनर्चक्रण हेतु अलग से देना चाहिए, जिससे उनसे नई वस्तुएं बनाई जा सकें. ऐसा करने से न केवल प्रदूषण कम होगा, बल्कि जानवरों को पॉलिथीन जैसी हानिकारक वस्तुओं से भी बचाया जा सकेगा.

पेड़-पौधों का महत्व और संरक्षण

पेड़-पौधे पर्यावरण के संतुलन की आधारशिला हैं. वे कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, वर्षा चक्र को संतुलित रखते हैं और मिट्टी के कटाव को रोकते हैं. एक परिपक्व वृक्ष एक वर्ष में लगभग 20 से 100 किलोग्राम तक कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित कर सकता है. यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में कम से कम 5-10 पेड़ लगाए और उनकी देखभाल करे, तो प्रदूषण में उल्लेखनीय कमी लाई जा सकती है.

औद्योगिक प्रदूषण और समाधान

देश में कुछ उद्योगों के कारण भी प्रदूषण फैलता है. इसलिए समय-समय पर उद्योगों का निरीक्षण होना चाहिए तथा अपशिष्ट पदार्थों का उचित निस्तारण किया जाना चाहिए, जिससे नदियां और भूमि प्रदूषित न हों. आधुनिक संसाधनों का सीमित उपयोग करते हुए प्राकृतिक साधनों को अपनाना आवश्यक है. पर्यावरण सुरक्षित रहेगा तो ही हमारा जीवन सुरक्षित रहेगा. आने वाली पीढ़ी को भी पर्यावरण संरक्षण का संदेश देना हमारा कर्तव्य है. जब हम सब मिलकर प्रकृति की रक्षा करेंगे, तभी धरती पर समृद्धि, संतुलन और खुशहाली बनी रहेगी.

प्रगति की चकाचौंध में खोतीं संवेदनाएं

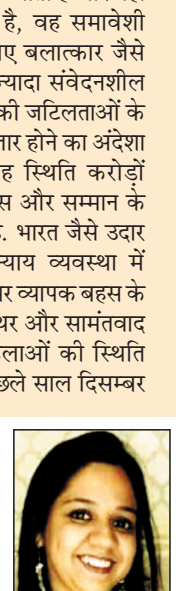

सुचिता सकुनिया

कभी सोने की चिड़िया कहलाने वाला हमारा देश आज जिस दिशा में बढ़ रहा है, वह गंभीर चिंतन का विषय है. जब भी हम समाचार चैनल खोलते हैं या अखबार पढ़ते हैं, मन में एक गहरी पीड़ा और बेचैनी जन्म लेती है.

हाल के वर्षों में देश के विभिन्न हिस्सों से ऐसी घटनाएं सामने आई हैं, जिन्होंने समाज को झकझोर कर रख दिया. कहीं तेज रफ्तार और दिखावे की होड़ में मासूम जानें चली जाती हैं, तो कहीं निजी रिश्तों में बढ़ती असहिष्णुता दुखद परिणामों में बदल जाती है. ये घटनाएं केवल समाचार नहीं, बल्कि हमारे सामाजिक मूल्यों में आ रहे बदलाव का संकेत हैं.

प्रश्न यह उठता है कि क्या हम सच में प्रगति कर रहे हैं, या केवल उसका भ्रम पाल रहे हैं? क्या हमारी नई पीढ़ी सुविधाओं में तो आगे बढ़ रही है, लेकिन संवेदनाओं में पीछे छूट रही है? क्या हमने बच्चों को सफल बनाना सिखाया, पर अच्छा इंसान बनाना कहीं भूल गए?

आधुनिकता और प्रगति अपने आप में गलत नहीं हैं. बदलते समय के साथ चलना आवश्यक है, लेकिन जब आधुनिकता अंधी नकल बन जाए और जीवन से संस्कार व संवेदनाएं दूर होने लगें, तब समस्या जन्म लेती है. आज की तेज रफ्तार जिंदगी,

सोशल मीडिया का प्रभाव और दिखावे की संस्कृति ने हमारे सोचने और समझने के तरीके को गहराई से प्रभावित किया है. रिश्ते अब स्क्रीन पर सिमटते जा रहे हैं और धैर्य की जगह जल्दबाजी ने ले ली है.

परिवार, जो कभी बच्चों के लिए पहली पाठशाला होता था, आज व्यस्तताओं और बाहरी प्रभावों के बीच कमजोर पड़ता जा रहा है. बच्चों को हर सुविधा तो मिल रही है, लेकिन समय, संवाद और संस्कारों की कमी साफ दिखाई देती है. कई बार माता पिता अनजाने में ही ऐसे व्यवहार और आदतों को सामान्य बना देते हैं, जिनका असर बच्चों के व्यक्तित्व पर पड़ता है. यह समझना जरूरी है कि हर सीख की शुरुआत घर से ही होती है.

बच्चों को केवल आर्थिक सुरक्षा देना पर्याप्त नहीं है, उन्हें भावनात्मक रूप से मजबूत बनाना भी उतना ही आवश्यक है. सही और गलत का अंतर, दूसरों के प्रति सम्मान, और कठिन परिस्थितियों में संयम ही एक जिम्मेदार नागरिक का निर्माण करते हैं.

हमें यह भी समझना होगा कि समस्या केवल नई पीढ़ी में नहीं, बल्कि हमारी सामूहिक सोच में है. बदलाव की शुरुआत हमें स्वयं से करनी होगी. यदि हम अपने बच्चों को समय देंगे, उनसे संवाद करेंगे और अपने आचरण से उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, तो निश्चित ही आने वाली पीढ़ी एक बेहतर समाज का निर्माण करेगी.

आज आवश्यकता है आधुनिकता और संस्कारों के बीच संतुलन बनाने की. यदि विकास की राह में संस्कार ही खो जाएं, तो वह प्रगति नहीं, केवल भ्रम है. सच्चा विकसित समाज वही है, जहां तकनीक के साथ इंसानियत भी जीवित रहे.

आद्य शंकराचार्य परम्परा के संवाहक डॉ. हेडगेवार

प्रो विवेकानंद तिवारी

आद्य शंकर के बाद यदि किसी एक व्यक्ति ने संपूर्ण भारत को सांस्कृति एकता मे आबद्ध करने का प्रयास किया तो वे डॉ.केशव बलिराम हेडगेवार थे.

मत, पंथ, सम्प्रदाय में विभाजित,परस्पर-लड़ता, जाति और भाषा के कुचक्रों में धंसा, ब्रिटिश दासता और मुस्लिम जिहादी आक्रामकता का चुपचाप शिकार हो रहा हिन्दू समाज छत्रपति शिवाजी की खड्ग की प्रतीक्षा कर रहा था; डॉ हेडगेवार ने जन संगठन को शिवाजी की खड्ग के रूप में अवतरित किया.

अठारहवीं और उन्नीसवीं शताब्दी में हिन्दू स्वातंत्र्य समर की आग में धधकने लगा था. स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानन्द, स्वामी रामतीर्थ, राजा राममोहन राय जैसे महापुरुषों ने धर्म जागरण, धर्म सुधार, नवीन चैतन्ययुक्त सशक्त निर्भीक हिंदू समाज के पुनर्जागरण की अलख जगानी शुरू कर दी थी. लाल बाल पाल की त्रयी ने बौद्धिक अधिष्ठान पर भारत के स्वातन्त्र्य समर को नई ऊष्मा और दिशा दी.श्री अरविंद के क्रांतिकारी काम, उत्तरपाड़ा कारावास, भवानी भारती की अवधारणा और सनातन धर्म ही भारत की राष्ट्रीयता है के उद्घोष के साथ अखंड भारत की परिकल्पना को आधिकारिक रूप से भारत की नियति निश्चित करना वायुमंडल में एक अद्भुत विद्युत तरंगे पैदा कर रही थी.

इस परिस्थिति और वातावरण से तेलंगाना के कन्दकुर्ति क्षेत्र से दो पीढ़ी पहले नागपुर आ बसा हेडगेवार परिवार कैसे अछूता रह सकता था. मूल रूप से तेलुगु क्षेत्रवासी मराठी देशस्थ ब्राह्मण परिवार, भोसले राजा के आमंत्रण पर वेद पाठ हेतु नागपुर आ बसे इस हेडगेवार वंश में पीढ़ियों से केवल वेदपाठ का अध्यवसाय ही होता रहा था. इसी परिवार में डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार का जन्म हुआ. डॉ. हेडगेवार ने केवल 36 साल की आयु में भारत के सहस्त्राब्दियों पुराने इतिहास में एक नई परंपरा, विधि,भाषा, संरचना के साथ ऐसा क्रांतिकारी जन आंदोलन खड़ा कर दिया जी माओत्से तुंग, लेनिन, अब्राहम लिंकन भी नहीं कर सके. किसे पता था कि यह बालक आगे चलकर भारत का भाग्योदय करने वाले, एक नवीन हिन्दू शक्ति और संगठन को जन्म देने वाले.

विश्व के सबसे बड़े हिन्दू संगठन का सर्जक और नियामक बनेगा

आज संघ जनमानस में प्रवाहमय शक्ति पुंज है. संघ भारत के संघर्षों, वेदनाओं, आहत मन की पीड़ा और राष्ट्र की विजयगाथा का स्वर है, हिन्दू शक्ति से सब संभव है उस आत्मविश्वास का आलेख है संघ. भारत की उद्दाम सांगठनिक अभीप्सा है संघ. हिन्दू जनमानस के उभार, उसकी शक्ति के संचित सामूहिक स्वरुप का शिलालेख है संघ. भारत की उस राष्ट्रीयता का जनमानस में उतरा वह अवतार है, जिसे श्री अरविंदन ने सनातन धर्म से अभिहित किया था.डॉ हेडगेवार आजादी की लड़ाई में लगातार सक्रिय रहे. चाहे क्रांतिकारी गतिविधियां हो या सामाजिक कार्य हो. इस बीच में देश भर के अलग-अलग लोगों से मिलते रहे इसी समय में उनके मन में यह संकल्प पनप रहा और दृढ़ हो रहा था की उन्हें समाज के संगठन का काम प्रारंभ करना है और उनके इसी संकल्प से विजयादशमी के दिन 20 युवकों के साथ मिल कर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को डॉक्टर हेडगेवार रुप दिया. उनके साथ वहां भाऊजी कावरे, अन्ना जी सोहनी, विश्वनाथ राव केलकर, बालाजी खुद्दार, बापूराव बेदी जैसे लोग थे. उसी बैठक में संघ के कार्यक्रम आदि पर भी विचार विमर्श हुआ . धीरे-धीरे संगठन बड़ा और बना .सन 1930 में जब कांग्रेस ने अपना ध्येय पूर्ण स्वतंत्रता घोषित किया तो संघ की सब शाखाओं में भी 26 जनवरी 1930 को शाम ठीक 6 बजे सभा करके सवतंत्रता दिवस मनाया गया. इसके बाद डॉ केशव राव हेडगेवार ने यवतमाल में 21 जुलाई को वहां से 6 मील दूर लोहारा जंगल में दस हजार लोगों की उपस्थिति में सत्याग्रह किया .उसी समय उनको गिरफ्तार कर लिया गया और यवतमाल जेल में मुकदमा करके नो महीने का सश्रम कारावास दे दिया गया . ये डॉक्टर हेडगेवार की दूसरी जेल यात्रा थी. पर संघ चलता रहा ,अनथक , अविराम, संकल्पित भारत को दुनिया का सिरमौर बनाने के पथ पर.